

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

.....

New Delhi, dated: 11 Aug. 1984

NOTIFICATION
(INCOME - TAX)

No. 5691 (F.No.261/7/83-ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961) and in supersession of all previous notifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges specified in Co.1 of the schedule below, shall perform their functions in respect of all persons and income assessed to income-tax in the Income-tax Circles, Wards and District specified in the corresponding entry in Co. (2) thereof excluding all persons and income assessed to income-tax over which the jurisdiction vests with the Commissioner of Income-tax (Appeals).

SCHEDULE

Range with Head Quarters	Income-tax Circles, Wards & Distts.
1. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range-I, Bangalore	1. Circle-I, Bangalore 2. Circle-IV, Bangalore 3. ITO, Foreign Section, Bangalore 4. Com. Circles I to VII, Bangalore 5. ITO, Trust Circle, Bangalore 6. In respect of orders passed by the ITOs Bangalore Circle-Old 7. In respect of orders passed by the ITO, Channapatna 8. Central Circles, Bangalore 9. Film Circle, Bangalore
2. Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Range - II, Bangalore	1. Circle - II, Bangalore 2. Survey Circles I & II Bangalore 3. Spl. Sur. Cir.(Old) Bangalore 4. Investigation Cir. Bangalore 5. Mysore Circle, Mysore 6. Mandya Circle, Mandya 7. Hassan Circle, Hassan 8. Tumkur Circle, Tumkur

Contd.....2/-

3. Appellate Assistant
Commissioner of Income-
tax, Range-III,
Bangalore

1. Circle-III, Bangalore
2. Salary Circles, Bangalore
3. Kolar Circle, Kolar
4. Coorg Circle, Mercara
5. Chickmangalur Circle, Chickmangalur
6. Udupi Circle, Udupi
7. Mangalore Circle, Mangalore
8. Estate Duty cum Income Tax
Circle, Bangalore
9. Estate Duty cum Income-tax
Circle, Mangalore
10. Estate Duty cum Income Tax
Circle, Hubli.

4. Appellate Assistant
Commissioner of Income-
tax, ~~Ram~~ Dharwar Range,
Hubli

1. Hubli Circle, Hubli
2. Dharwar Circle, Dharwar
3. Gadag Circle, Gadag
4. Shimoga Circle, Shimoga
5. Raichur Circle, Raichur
6. Gulbarga Circle, Gulbarga
7. Bellary Circle, Bellary
8. Hospet Circle, Hospet
9. Chitradurga Circle, Chitradurga
10. Karwar Circle, Karwar
11. Davangere Circle, Davangere
12. Bijapur Circle, Bijapur
13. Bagalkot Circle, Bagalkot

5. Appellate Assistant
Commissioner of Income-
tax, Belgaum Range,
Belgaum.

1. Belgaum Circle, Belgaum

6. Appellate Assistant
Commissioner of Income-
tax, Goa Range, Goa

1. Panaji Circle, Panaji
2. Margao Circle, Margao

Whereas an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one range to another range, as appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before Appellate Assistant Commissioner of the range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred, shall from the date this notification takes effect

be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This Notification shall take effect from 1-12-1983.

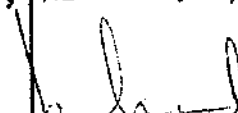

(KALYAN CHAND)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

10

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

Copy to:

1. The Commissioner of Income-tax, Karnataka, Bangalore
2. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
3. A.D.I. (RS & P) Bulletin, New Delhi
4. E.D./Ad. VI Sections
5. I.T.C.C. Section (2 Copies)
6. The Joint Secretary & Legal Advisor, Ministry of Law,
Shashtri Bhawan, New Delhi.


(KALYAN CHAND)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes

भारत के राजपत्र के भाग 11, खण्ड 3(11) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 6-3-1984

अधिसूचना
(अस-कर)

सं० 5691 (फा० सं० 261/7/83-आ० क० न्या०): अस-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का अधिलक्षण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्तम्भद्वारा निदेश देता है कि नीचे की गई अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलार्थ सहायक आयकर आयुक्त अस-कर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और आय का छेड़ कर जिन पर केन्द्राधिकार अस-कर आयुक्त (अपील) में निहित है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अस-कर परिमंडलों, वार्डों और जिलों में, अस-कर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और आय के संबंध में अपने कार्य करेंगे।

अनुसूची

क्र०सं०	रेंज और प्रधान कार्यालय	अस-कर परिमंडल, वार्ड तथा जिले
1.	अपीलार्थ सहायक आयकर आयुक्त रेंज -1, बंगलौर	1. परिमंडल I, बंगलौर 2. परिमंडल IV, बंगलौर 3. आ०क०अ०, विदेश प्रभाग, बंगलौर 4. कंपनी फिर परिमंडल से V II, बंगलौर 5. आ०क०अ० न्याय परिमंडल, बंगलौर 6. आ०क०अ० बंगलौर परिमंडल (पुराना) द्वारा पारित आवेशों के संबंध में

(क०प०उ०)

1	2
	7. आ०क०अधि०चन्नापटना द्वारा पारित आदेशों के संबंध में
	8. केन्द्रीय परिमंडल, बंगलौर
	9. फ़िल्म परिमंडल, बंगलौर
2. अपीलिय सहायक आयन्कर आयुक्त, रेंज-II, बंगलौर	1. परिमंडल -II, बंगलौर
	2. सर्वेक्षण परिमंडल I तथा II, बंगलौर
	3. विशेष सर्वेक्षण परिमंडल (पुराना) बंगलौर
	4. गणत्व परिमंडल, बंगलौर
	5. बैयूर परिमंडल, बैयूर
	6. मांड्या परिमंडल, मांड्या
	7. हसन परिमंडल, हसन
	8. तुमकूर परिमंडल, तुमकूर
3. अपीलिय सहायक आयन्कर आयुक्त, रेंज -III, बंगलौर	1. परिमंडल -III, बंगलौर
	2. बेलतन परिमंडल, बंगलौर
	3. कोलार परिमंडल, कोलार
	4. कुर्ग परिमंडल, मेदकारा
	5. चिकमंगलूर परिमंडल, चिकमंगलूर
	6. उदुपि परिमंडल, उदुपि
	7. मंगलौर परिमंडल, मंगलौर
	8. सय्यदा शुल्क एवं आयन्कर परिमंडल, बंगलौर
	9. सय्यदा शुल्क एवं आयन्कर परिमंडल, मंगलौर
	10. सय्यदा शुल्क एवं आयन्कर परिमंडल, हुबली

4. अपीलिय सहायक आय-कर आयुक्त,
धारवाड रेंज, हुबली

1. हुबली परिमंडल, हुबली
2. धारवाड परिमंडल, धारवाड
3. गदग परिमंडल, गरग
4. शिमोगा परिमंडल, शिमोगा
5. रायचूर परिमंडल, रायचूर
6. गुलबर्गा परिमंडल, गुलबर्गा
7. बेलरी परिमंडल, बेलरी
8. होसपेट परिमंडल, होसपेट
9. चित्रदुर्ग परिमंडल, चित्रदुर्ग
10. कारवाड परिमंडल, कारवाड
11. दाक्षिणगिरि परिमंडल दाक्षिणगिरि
12. बीजापुर परिमंडल, बीजापुर
13. बागल कोट परिमंडल, बागल कोट

5. अपीलिय सहायक आय-कर आयुक्त,
बेलगाव रेंज, बेलगाव

1. बेलगाव परिमंडल, बेलगाव

6. अपीलिय सहायक आय-कर आयुक्त,
गेवा रेंज, गेवा

1. पणजी परिमंडल, पणजी
2. वारगाओं परिमंडल, वारगाओं ।

यतः कोई आय-कर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तर्हित कर दिया जाता है, उस आय-कर परिमंडल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किये गये कर-निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलिय सहायक आयुक्त के समस्त विचारणीय पड़ी शक्तियाँ जिनके अधिकार क्षेत्र से उस आय कर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला

अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयुक्त को अंतरित की जायेगी और उसके द्वारा निपटाई जायेगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त परिश्रमाल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो ।

यह अधिसूचना 1-12-1983 से लागू होगी ।

(कल्याण चन्द्र)

अवर सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार प्रेस,

मध्यापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

नई दिल्ली ।

प्रतिलिपि अग्रेजी पाठ के अनुसार प्रेषित

* शर्मा *